संख्या-22/2024/आई499906 /001-111आ0-23-5002-002-15-2024
(कम्प्यूटर सं0-1792139)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 20 फरवरी, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद कासगंज, बाँदा, हमीरपुर, गोंडा, बदायूं, गाजीपुर के कुल 07 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-7620/CE-BLD/PULDHOUS/ALI/2023-24, दिनांक 03.02.2024, सं0-7621/CE-BLD/PULD HOUS/BAN/2023-24, दिनांक 03.02.2024, सं0-7449/CE-BLD/BUIL(PWD)/GON/ 2023-24, दिनांक 19.01.2024, सं0-7448/CE-BLD/BUIL(PWD)/BAN/2023-24, दिनांक 19.01.2024, सं0-7447/CE-BLD/BUIL(PWD)/BAR/2023-24, दिनांक 19.01.2024, एवं पत्र सं0-7450/CE-BLD/BUIL(PWD)/VNS/2023-24, दिनांक 19.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक "4216-01-700-05-0539-24 लो0नि0वि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय भवनों के निर्माण के चालू कार्य" के अन्तर्गत जनपद कासगंज, बाँदा, हमीरपुर, गोंडा, बदायूं, गाजीपुर के कुल 07 कार्यों हेतु अवशेष देय धनरशि में से **रू0 334.00 लाख(रू0 तीन करोड़ चौंतीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत धनराशि	बचत की धनराशि	आवंटन की कुल धनराशि	अब तक आवंटित धनराशि	समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरांत अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
			(धनराशि रू0 लाख में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	143/2021/आई/125297/2021/502आ0/23-5-21-20(भवन)/2021, दिनांक 23.12.2021 एवं 152/2023/374322/001-274आ0-23-5002-002-27-2023-20भवन-2021 दिनांक 24.08.2023	कासगज के अवर अभियन्ताओं हेतु टाईप-3 के आवासों का निर्माण कार्य।	132.57	0.60	131.97	51.00	0.00	80.97	54.00
2	44/2023/001-69आ0/23-5-23-03(भवन)/2023टीसी-II, दिनांक 02.03.2023 एवं 123/2023/001-226आ0-23-5-23-03भवन-2023टीसी-2, दिनांक 03.07.2023	बांदा में विभागीय कर्मचारियों के निवास हेतु टाइप-3 के 06 अदद आवासों का निर्माण कार्य।	127.79	2.05	125.74	50.00	0.00	75.74	40.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	143/2021/आई/125297/2021/502आ0/23-5-21-20 (भवन)/2021, दिनांक 23.12.2021 एवं 86/2022/001-175आ0-23-5-22-20भवन-2021, दिनांक 18.11.2022 एवं 120/2023/001-205आ0-23-5-23-20भवन-2021, दिनांक 23.06.2023	गोंडा में लो0नि0वि0 के टाइप-3 के 02 ब्लॉक (12 आवास) का निर्माण कार्य।	214.61	1.42	213.19	137.00	0.00	76.19	60.00
4	88/2023/001-98आ0/23-5-23-03(भवन)/2023टीसी, दिनांक 30.03.2023	हमीरपुर में अधीक्षण अभियंता,हमीरपुर हेतु टाईप-5 के आवास का निर्माण कार्य।	59.92	0.21	59.71	15.00	11.06	55.77	50.00
5	88/2023/001-98आ0/23-5-23-03(भवन)/2023टीसी, दिनांक 30.03.2023	बदायूं स्थित प्रांतीय खण्ड,लो0नि0वि0, बदायूं के भण्डारण परिसर में टाइप-3 के 06 आवासों का निर्माण कार्य।	120.67	12.15	108.52	30.00	27.70	106.22	70.00
6	143/2021/आई/125297/2021/502आ0/23-5-21-20(भवन)/2021 दिनांक 23.12.2021 एवं 04/2023/001-238आ0-23-5-22-20भवन-2021, दिनांक 06.01.2023 एवं 111/2023/001-207आ0-23-5-23-20भवन-2021, , दिनांक 20.06.2023	गाजीपुर में निरीक्षण भवन परिसर में विभागीय टाइप-3 आवास का निर्माण कार्य।	201.21	12.43	188.78	141.00	0.00	47.78	36.93
7	143/2021/आई/125297/2021/502आ0/23-5-21-20(भवन)/2021 दिनांक 23.12.2021 एवं 04/2023/001-238आ0-23-5-22-20भवन-2021, दिनांक 06.01.2023 एवं 111/2023/001-207आ0-23-5-23-20भवन-2021, , दिनांक 20.06.2023	गाजीपुर में निरीक्षण भवन परिसर में विभागीय टाइप-4 आवास का निर्माण कार्य।	153.68	06.61	147.07	124.00	0.00	23.07	23.07
		योग :-						**465.74**	**334.00**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दि0 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,34,00,000(रुपये तीन करोड़ चौंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 055 लेखा शीर्षक 4216017000539 कर्मचारियों/अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-22/2024/आई499906/001-111आ0(1)/23-5-2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी कासगंज, बाँदा, हमीरपुर, गोंडा, बदायूं व गाजीपुर ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कासगंज, बाँदा, हमीरपुर, गोंडा, बदायूं व गाजीपुर।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ क्षेत्र, चित्रकूट धाम(बाँदा) क्षेत्र, गोंडा क्षेत्र, बरेली क्षेत्र व वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता अलीगढ वृत्त, बांदा वृत्त, गोंडा वृत्त, हमीरपुर वृत्त, बदायूं-पीलीभीत वृत्त, वाराणसी वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कासगंज।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बांदा।
15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गोंडा।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लो0नि0वि0, हमीरपुर।
17- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लो0नि0वि0, बदायूं।
18- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गाजीपुर
19- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in